श्री एम. वेंकैया नायडुः सभापति जी, इस विषय के बारे में कुछ लोगों ने पहले भी आपत्ति व्यक्त की है कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, फिर आप इसके बारे में सेंटर में कानून कैसे बना सकते हैं? इसके बाद हम लोग जो बना रहे हैं वह रेग्युलेशन है। लेकिन उसमें कारण क्या है, उसमें सैलर है, बायर है, बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए उसको रेग्युलेट करने के लिए और रिअल एस्टेट सैक्टर को डेवलप करने के लिए पुरानी सरकार के जमाने में एक बिल आया था। वह अच्छा बिल था। वह अच्छा बिल था, उसमें कुछ सुधारना था। उसमें सुधार करने के लिए वह कमेटी के पास भेजा गया और कमेटी ने अपनी विवेचना के आधार पर अपनी रिकमंडेशन भेजी हैं। इस विषय को कुछ लोगों ने उठाया था, तो मैंने इसको अटॉर्नी-जनरल को रेफर किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह कानून ला सकती है। उसके बाद फिर हमने कानून लाने के लिए प्रयास किया है। हमने Ministry of Law and Justice को कहा है कि Concurrent List in the Seventh Schedule of the Constitution 4 Entry 6 provides for transfer of property, registration of deeds and documents. Entry 7 provides for contracts, including partnership, agency, contracts of carriage, and other special forms of contracts. Entry 46 provides for jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court. So, the Attorney-General has given an opinion concurring with the views of the Law Ministry that the Parliament is competent to make such a law. That is so, as far as this issue is concerned. Land, as such, is not my subject. But, the hon. Member is aware about that also. That had been referred to a Joint Committee of both the Houses of Parliament as there could not be unanimity on that issue. Now, what is to be done with regard to that Bill, the concerned Minister will inform the House.

Encroachment on DDA and Gram Sabha land in Aali village, New Delhi

†*17.SHRI PARVEZ HASHMI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of ownership of land under DDA and Gram Sabha in Aali village (SaritaVihar), New Delhi;

(b) whether DDA has received any proposal to set up hospital, baraat ghar, community centres or senior secondary school on these lands, if so, the details thereof;

(c) whether the land of Gram Sabha or DDA has been encroached upon; and

(d) if so, the details of the steps being taken to remove the encroachment?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) Delhi Development Authority (DDA) has informed that the acquired land of DDA at village Aali is about 70 acres. Revenue Department Government of National Capital Territory of Delhi, (GNCTD) has informed that around 31.27 acres of land is under the Gram Sabha.

(b) DDA has informed that they have received no request for setting up hospital on these lands. A request for providing land for Government Senior Secondary School was received from Directorate of Education (DoE), GNCTD on 14.10.2015 and a reply dated 19.01.2016 in this regard, has been sent by them to DoE, GNCTD informing that the suggested land is under litigation in Hon'ble Supreme Court of India. Further, DDA has received a request for allotment of land for Baraatghar/ Community Hall from Shri Parvez Hashmi, Hon'ble Member of Parliament, forwarded by South Delhi Municipal Corporation. However, DDA does not have suitable piece of land, free of litigation in Aali village, which meets the Master Plan requirement for Community Hall.

(c) and (d) DDA has informed that 2.28 acres of acquired land in Khasra Nos. 327, 328 and 355 of village Aali is encroached. The encroached land is part of the unauthorized colony known as Aali Extension, which is included in the list of 895 colonies to be regularized by GNCTD. The encroached land, being part of an unauthorized colony, is protected under the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011 read along with the amendment enacted in 2014. Revenue Department, GNCTD has informed that nearly 1.32 acres of Gram Sabha land is under encroachment.

श्री परवेज़ हाशमीः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे क्वेश्चन के पार्ट "ए" में डीडीए ने यह जवाब दिया है कि उनके पास 70 एकड़ लैंड है, जिसमें से 2.28 एकड़ भूमि पर एनक्रोचमेंट है और बाकी जमीन का स्टेटस क्या है? अगर यह लैंड एवेलेबल है, तो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के लिए इसे क्यों नहीं अलॉट किया जा रहा है?

श्री एम. वेंकैया नायडुः सभापति जी, यह सवाल लास्ट सेशन में भी आया था। उसमें थोड़ा-सा परिवतन करके फिर से सवाल पूछा गया है। सवाल का मुख्य उद्देश्य है कि ऑनरेबल सदस्य वहां पर बारात घर और अस्पताल बनाना चाहते हैं। इसके बारे में जो लैंड वे चाह रहे थे, पब्लिक परपज़ के लिए चाह रहे थे, उनका पर्सनल परपज़ नहीं है। मगर उसका फिर से अध्ययन करने के बाद मालूम हुआ कि वह लिटिगेशन में है, इसीलिए वह लैंड नहीं दे सकते। यह पूरी डिटेल्ड जानकारी डिपार्टमेंट ने, एल एंड डी ओ ने डीडीए से बात करने के बाद हमें दी है। इसीलिए हम इसको लिटिगेशन के कारण मंजूर नहीं कर पाए।

श्री परवेज़ हाशमीः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो लिटिगेशन की बात कही है, वह 70 एकड़ के लिए कही है। ये "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान चला रहे हैं। यह गांव मैंने adopt किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब की यह स्कीम है और यहां पर दो-तीन लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन बच्चियों के लिए दूर-दूर तक कोई स्कूल नहीं है। रोज रोड़ एक्सीडेंटस होते हैं क्योंकि बच्चियां मथुरा रोड क्रॉस करके जाती हैं, तो क्या दो एकड़ लैंड 70 एकड़ लैंड में से इनके लिए एवेलेबल नहीं कराई जा सकती है, तो फिर गांव adopt करने की जरूरत क्या है? "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का क्या मतलब होता है? मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या गर्ल्स स्कूल के लिए डीडीए लैंड एवेलेबल करा पाएगी या नहीं?

श्री एम. वेंकैया नायडुः सर, बेटी इस सरकार आने के बाद पैदा नहीं हुई, पहले भी पैदा होती रही और पढ़ती रही। ...(**व्यवधान**)... मेरा कहना यह है कि ...(**व्यवधान**)... आप एक मिनट, मेरी बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)... सर, एक जमीन dispute में है, दूसरी जमीन के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह जमीन एनक्रोचमेंट में है और एनक्रोचमेंट हम हटा नहीं सकते। उसका कारण यह है कि जो हम सब लोगों ने मिलकर पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया, उसके अंतर्गत जहां कुछ कंस्ट्रक्शन है, उसको 2017 तक हटाना संभव नहीं है। फिर भी, मैंने ...(**व्यवधान**)... आप सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। प्लीज़ कंटिन्यू।

श्री एम. वेंकैया नायडुः आप सब लोग बहुत अनुभवी हैं। उस जमाने में क्यों नहीं हुआ, उस issue पर मैं नहीं जा रहा हूं। मगर माननीय सदस्य ने जब यह issue उठाया, तो मैंने अधिकारियों को बुलाया कि भाई, परपज़ क्या है? परपज़ लोगों ने बताया कि यह अमुक कार्य के लिए है। मैंने कहा कि यह disputed है, तो इसको अलग रखिए और एनक्रोचमेंट है, तो अलग रखिए। इसके अलावा और कोई जमीन है क्या? उसके बाद अधिकारीगण माननीय सदस्य के प्रतिनिधि को लेकर इलाके में गए और दूसरे, इस गाँव का इन्सपैक्शन इस 19 तारीख को किया 13 bighas of land in Saidabad village is identified for school and community purposes. This is earmarked for a freight company. This will be considered after due process. सर, मैंने informally संकेत दिया कि purpose अच्छा है, हमें बारातघर की भी जरूरत है, कम्युनिटी सेंटर की भी जरूरत है और स्कूल की भी जरूरत है। इसलिए इस तरह की लैंड के लिए अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को resolve कर के उन्हें दीजिए, ऐसा मैंने कहा है। आप स्थानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप को भी मालूम है कि डीडीए की भी एक अथॉरिटी है। वह काम पूरा करने के बाद उस दिशा में हम पॉजिटिवली एक्शन लेंगे।

SHRI BHUPINDER SINGH: Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to put a question to the hon. Minister. My question is: If the DDA encroaches upon any land, will the DDA give alternate land to the individual or will the compensation be made available to the individual as per the market value?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, DDA will never encroach upon land. It acquires land.

SHRI BHUPINDER SINGH: It has encroached upon the land, Sir.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That may be the hon. Member's allegation.

SHRI BHUPINDER SINGH: I will give you the details. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please listen to the answer.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Please send the details to me. I have no problem. The DDA, Delhi Development Authority, is a development authority. It functions under a statute. It has got some rights and responsibilities also. It acquires the public land for some public purposes. What the hon. Member is saying is that he has got some specific case where the DDA has encroached upon some private land. If at all there is any such thing, I will get it enquired, and, then, take suitable action.

श्री राजीव शुक्लः सर, यह सवाल दिल्ली के एक गांव के बारे में है, जहां बारातघर व स्कूल बनाया जाना है, लेकिन वे बन नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी ने पूरी दिल्ली की पिक्चर पेश की है और बताया है कि कैसे एनक्रोचमेंट होता है और उसे हटाना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से दिल्ली में जगह बहुत कम है। यहां जगह-जगह स्कूल व बारातघर की मांग होती है, लेकिन वे बन नहीं पाते क्योंकि दिल्ली में डीडीए और सरकार के पास जगह नहीं बची है। यहां जगह-जगह पर अवैध कब्जा है और जगह-जगह झुग्गी-झोंपड़ियां हैं।

सर, सारे मुम्बई में एक Slum Rehabilitation and Development की स्कीम चल रही है। आप दिल्ली में ऐसा experiment क्यों नहीं शुरू करते हैं? इस से सरकार को बहुत सी जगह मिल जाएगी जहां वह बारातघर, स्कूल व हाउसिंग सोसायटीज वगैरह नहीं बना सकती है। यहां भी ऐसी स्कीम जरूरी है क्योंकि दिल्ली में लिमिटेड जगह है। आप उसे बढ़ा नहीं सकते और यू.पी. व हरियाणा जैसे राज्य बगल में हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे इस मामले में क्यों नहीं सोचते हैं?

श्री एम. वेंकैया नायडुः सर, यह एक सुझाव है। हम इस पर अध्ययन करेंगे, मगर मेरा कहना है कि हम सभी पार्लियामेंट के मेंबर्स ने अपनी विवेचना के आधार पर एनक्रोचमेंट नहीं हटाने चाहिए। सर, अगर एनक्रोचमेंट में जहां unauthorised colonies आई हैं, एनक्रोचमेंट में कुछ इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो उनको हटाना हम सब ने मिलकर रोक दिया है। इसका कारण यह है कि दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। यह रियेलिटी भी है कि बहुत से इलाकों में यह चलता रहा, लेकिन हम लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया। बाद में जब एनक्रोचमेंट हटाने के लिए गए तो उसका पब्लिक रिएक्शन भी देखा है। सर, यह प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर वर्ष 2008 में पुरानी सरकार ने भी ऐसा एक ऑर्डर निकाला था और बाद में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद, गहराई से इस बारे में पूरा अध्ययन करने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अभी इन्हें हटाना संभव नहीं है। जितना संभव है, उसे उतना रेगुलराइज करना है। जहां जगह नहीं है तो माननीय सदस्य ने वर्टिकल जाने के लिए जो सुझाव दिया है, उस विषय में भी हम सोचेंगे।

श्री रणविजय सिंह जूदेवः सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि डीडीए की लैंड पूलिंग की व्यवस्था की पॉलिसी कब तक डिक्लेयर होगी क्योंकि स्मार्ट सिटी के रूप में जो L-Zone या Other Zones बनने वाले हैं, वहां के किसान और डेवलपर्स संशय की स्थिति में हैं?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, land pooling is a separate issue. If the hon. Member writes to me, I will definitely inform him about the progress made with regard to the land pooling policy in Delhi.

With regard to facilitating the people who are encroaching there, and, for providing them an alternative, the State Government has to prepare a policy of rehabilitation and redevelopment of encroached colonies. That is the mandate. That is yet to be done. Once that rehabilitation policy comes up, then, the Central Government will extend all the support to develop those colonies also.

Skill development programme for widows

*18. SHRI LAL SINH VADODIA: Will the Minister of SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP be pleased to state:

(a) the number of widows who have got the advantages of skill development programme; and

(b) the number of branches for the skill development programme that have been started for widows together with the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJIV PRATAP RUDDY): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) There are a number of skill development scheme across various sectors being implemented by Central Ministries/Departments. The data on the widows covered under these skill development programmes is not maintained centrally. However, most of these schemes have special provisions to promote the participation in skill development programmes by all socio-economic groups including women.

Further, Government has launched the flagship scheme, 'Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yoiana (PMKVY)' on 15th July, 2015 to enable and mobilize a large number of youth to take up outcome based skill training and earn their livelihood. As on 22nd February, 2016, 12.50 lakh candidates have been enrolled (including 5.41 lakh women) for vocational training under different sectors in 9,314 training centres spread across the Country with coverage of 29 States and 6 Union Territories (UTs).